

रेरा की बैठक • डीएम ने कंपनियों से पूछा स्पष्टीकरण, जवाब के आधार पर कार्रवाई की जाएगी

रेरा के नियमों का पालन नहीं करने वाली रियल एस्टेट की 14 कंपनियां चिह्नित की

क्राइम रिपोर्टर | दरभंगा

सलाह... किसी भी घर, प्लॉट या प्लॉट में निवेश करने से पहले जांच जरूरी

कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में शुक्रवार को रेरा की बैठक आयुक्त रेरा संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 14 ऐसी कंपनी चिह्नित की गई, जिसका संचालन रेरा के मापदंड के अनुरूप नहीं पाया गया। जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि रेरा बिहार की ओर से जारी मेमो संख्या एसटीवी /20/2026/26, दिनांक 21 मई 2026 के अनुसार चिह्नित कंपनियों में देवलता डेवलपर कंस्ट्रक्शन, दरभंगा प्रॉपर्टीज प्रा. लि. धनेष्ट डेवलपर प्रा. लि. समृद्धि बिल्डकोन, एमएस कुमार बिल्डर्स, ट्राइकलर प्रॉपर्टीज, महाराजा रियल स्टेट, आश्रिता होम्स एंड डेवलपर, पीएमटी बिल्डके प्रा. लि. समेत अन्य कंपनियों के नाम शामिल हैं। डीएम कौशल कुमार ने स्पष्ट कहा है कि बिना रेरा निबंधन के किसी भी प्रकार का बिल्डिंग निर्माण एवं प्लैट बिक्री नियमों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि इन कंपनियों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक में रेरा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, अवैध प्लॉटिंग पर रोक तथा खरीदारों के हितों की सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। रेरा आयुक्त ने कहा कि किसी भी घर, प्लैट या प्लॉट में निवेश करने से पहले संबंधित परियोजना का रेरा निबंधन अवश्य जांच लें।



कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में बैठक करते डीएम व अन्य।

जिले में काम कर रही इन कंपनियों से पूछा गया स्पष्टीकरण

- देवलता डेवलपर कंस्ट्रक्शन कंपनी - अपना गांव
- दरभंगा प्रॉपर्टीज प्रा. लि. कंपनी - पिक सिटी
- मे धनेष्ट डेवलपर प्रा. लि. - शिवपुरी स्मार्ट सिटी
- मे धनेष्ट डेवलपर प्रा लि - इंदुरी स्मार्ट सिटी
- एम. समृद्धि बिल्डकोन कंपनी - प्रोजेक्ट का नाम नहीं
- एम/एस कुमार लैंड - शामक बिहार फेज-2
- ट्राइकलर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. - इम्पीरियल पार्क
- महाराजा रियल स्टेट प्रा. लि. - बसंत बिहार
- शेख मालिक रहमान, फैसल रहमान, शाहनवाज रहमान - खेसरा 6841 एवं 899 मौजा बसुदेवपुर
- रविन्द्र नाथ मिश्रा व रघुवेंद्र नाथ मिश्रा - खेसरा 854 एवं 846 मौजा वासुदेवपुर
- मे आश्रिता होम्स
- एंड डेवलपर - बैदेही बिहार
- मनोज कुमार पासवान - खेसरा 58,63,58,55
- एमएस पीएमटी बिल्डर्स प्रा. लि. - शान्ति बिहार फेज एम्स
- नूरुल सलाम - खेसरा 1523 मौजा वासुदेवपुर

प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है

बैठक में वर्ष 2022 में संशोधित बिहार भवन उपनियम, 2014 के अनुपालन में नगर निकायों की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया गया। कहा कि प्रोजेक्ट निबंधन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति या संस्था रेरा अधिनियम का उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी कंपनी के नाम पर प्लॉटिंग अथवा रजिस्ट्री होने की स्थिति में संबंधित अधिकारी गहन जांच सुनिश्चित करें। एक ही खाता एवं खेसरा की बार-बार रजिस्ट्री की शिकायतों पर भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। उन्होंने नगर निकायों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण नहीं होने दिया जाए। नियोजित विकास से सड़क, पार्क, बिजली, नाली जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर ढंग से उपलब्ध हो पाती हैं। नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पंचायत को नियमों के अनुरूप ही नक्शा पारित करने का निर्देश दिया गया।

रेरा के नियमों का पालन नहीं करने वाली रियल एस्टेट की 14 कंपनियां चिह्नित की